[भाग II-खण्ड 3(i)]

#### भारत का राजपत्र : मार्च 1, 2003/फाल्गुन 10, 1924

#### नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिदिष्ट हैं।

 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 5. निरहता.-वह व्यक्ति,-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

				अनुसूची	1.35 DE 1919
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आधार पर आयु-सीमा चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	
1	2	3	4	5 Stranger and the 6 day	The PER STREAMS
आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग)	01 * (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	18600-500- 22100 रु. और प्रैक्टिस- बंदी भत्ता	लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं। होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : — आयु-सीमा अवधारित करने के नि निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदर प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारी	থা বাঁ লগ বিশিষ্ঠ । আহীশ কী বঁৱ যায় এন্থাৰ তাৰন ৰান্ট কা তাঁলাসনা মহা <b>সাঁগ</b> ৰাহজালে চুববৈদ্য

435 GI/2003-5

494

# THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924 [Part II—Sec. 3(i)]

Uetos france		6		street .
के हिए प्रथा शतिवार्ग का प्रयोग करने हम का कार्य आ होने साथ ए कवियालि	होगी। (न	कि वह अंतिम ता	रीख जो असम, विस्तराज	-jok man
( स्पूर्व क्या की, तेने तैय) और ग्वेन प्रायम ( पत्र) विका और स्व	NOT CONSIST STREET		मजोरम, मणिपुर, तहांव ,लात	
e treu and 8 date	A Market in the Print Party in the State of the	त्रेपरा सिक्किम	जम्मू-कश्मीर हिल प्र क्रि	1020 / / 5 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		दाख खंड, हिमाचल	जन्मू द्वारमार हम ३० (ह) प्रदेश के जाहीज	1011
ा नाम हास्या अन्युवान प्रतासकात्वा स्थान व्याप्त व्याप्त व्याप्त	और म्मीति	दाख खड, हिमापरा	अपरा फ लाहाल ने के गांगी जग	
को विद्योग के अपने (तो के प्रति का विद्योग) (यह के प्रतिदेश हो	गतंद अंतर	ाजरा रापा पन्जा (जर	ते के पांगी उप-	भी लोहन
	के अभ्यार्थि	यों के लिए विहित क	भिनेत्वा ॥ अनेतव जाव का पि या लक्षद्वीप ने पर्व है ५२	দেশ দি
and the second second second			ग गइ हा) नर्हताओं सहित <sup>15 कि</sup> (ऽ)	
प्रकाशितिहरू वहां को होगा होगा. प्रकाशितिहरू वहां को होगा होगा.			र आचार्यों को न्द्र ह	
	2020	ापका, उपाचाया आ क्षकों की संख्या इन		
ालत, जालता सार्वेच्याय और असमा यह यह होता. यह इन हिंद्यम				
	का कुल स होगी।	ख्या के तास प्रातशत	से अधिक नहीं विद्यालय	5. 3576TR
	61.111			
	104012:	आचार्य के पद को वि		in the second
A DEPENDENT OF THE DEPENDENT OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	लप म मप		रशा में केवल कि लिए हैं।	-si aito
		-	ग्री अर्हता या जेमने ह	
a when a second second of the second s		र्हता वाले शिक्षकों	का हो पद पर	ę
	नियुक्त कि			
and the state of the	ADA DAMIN DA	HAR THERE IN FILE	196 - Star 100 -	
		1911:	पर नियक्ति का पात्र जनी र	37 68
काकित को इस नियम के प्रकार से दूर <sup>9</sup> ंग्यांमें। ज पाद स कि क्षेत्रक क्रांग्या आदक्ष्यल पर समीचीन है, बसा कह रामके लिए प	कि मां कुछ है। कि महस्र हो जन्म विकेस हो	व्यक्तियों के लिए विश् आयु और शैक्षिक अ ग्रेन्नत व्यक्तियों की र	रशा में काक अवस्थित कर	দ্বোৰ ত মণ্ড উ
व्यकित को इस मिलम के मल्लाउ से पर <sup>9</sup> ागांगी। ज पाद से कि क्षेप्रा करेबा आराज्यक पा समीली। है, कहा कर रेमने क्लिए प् । क प्रान्सद, इस सिद्धकों कू सिंह, ज्यावस का सिर्ट्स को देन प्रदर्ग ने स्लोन्च ।	विकां का विकां प्रकार को विकास को	व्यक्तियों के लिए विश् आयु और शैक्षिक अ ग्रेन्नत व्यक्तियों की र	हित कोई हो का <sub>र्यन</sub> हताएं	দ্বোৰ ত মণ্ড উ
व्यकित को इस मिलम के एल्लाउ से 27 <sup>9</sup> 700 थे। ज पाद से कि क्षेप्रा करेबा आराज्यल या समीली। है, बहा के उमरी ल्या ग । क एल्लाह इस सिद्धवी कू लिए, जनवर का स्क्रियी धर्न यो पहली में गर्माक	विकां का विकां प्रकार को विकास को	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की र नागू होंगी या नहीं	हित कोई हो हिताएं दशा में	धोन उ प्रण हैं रे बाल
स्वादित को इस मिलम के एल्लाउ से 17 <sup>90</sup> गांगी। ज पाद से कि केल करेबा आराज्यल या समीची। है, कहा कर रेमने उल्पर 1 क एल्लाह, इस सिद्धवों के लिए जेवन का विस्ति को ये प्रदर्श के एलेन - तोला में घुर और काल रिप्टरफो 80 के बहु, वही, टोने 10, विरोका 17 द	ि जा जा कि सी प्रकार को उन्हों के प्रकार के स्वार स्वार आप	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की र नागू होंगी या नहीं	हित कोई हो का मुन्द्र हीताएं दशा में का	धीन उ प्रण हैं रे बाच
्रियोग के प्राप्तने के दिन को क 8 जनपाल कि	ד און און לי שיייי קייייייייייייייייייייייייייייייי	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क लागू होंगी या नहीं 9	हित कोई हो हंताएं दशा में गाउ कार गाउ गाउ गाउ गाउ गाउ गाउ गाउ गाउ गाउ गाउ	দ্যোন র দ্র্যান ট া আন্দ চাচারি
अवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व को अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह	ा और ा	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ ग्रोन्नत व्यक्तियों की र नागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं	हित कोई हो हिताएं दशा में गाउ कार्य गाउ गि सीधे भर्ती किए जा	য়ীৰ উ য়থা নী আৰ্মান্য লাল্য
8 सम्पनि स्व का स्व आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि	ा भारत का 102) स्ट्रीकृत	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ ग्रोन्नत व्यक्तियों की र नागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं	हित कोई हो हिताएं दशा में गाउ कार्य गाउ गि सीधे भर्ती किए जा	য়ীৰ উ য়থা নী আৰ্মান্য লাল্য
8 स्वयंभवित्यम् स्वयंभवित्यम् अध्यक्षेत्र स्वयंभवित्यम् अध्यक्षेत्र स्वयंभवित्यम् अध्यक्षेत्र स्वयंभवित्यम् अध् आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम्, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए।	मा 102) ता और स्ट्रीकृत	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं इशा में होग गढ़ हुन्छ गाउँ हुन्छ 10 सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए 1	भीत उ मण है प्रण है जाल र्वे कर्
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. ( प्रसूति विद्या अ	मा 102) ता और स्ट्रीकृत	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हिताएं दशा में गाउ कार्य गाउ गि सीधे भर्ती किए जा	भीत उ मण है प्रण है जाल र्वे कर्
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य।	मा 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं इशा में होग गढ़ हुन्छ गाउँ हुन्छ 10 सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए 1	भीत उ मण है प्रण है जाल र्वे कर्
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का	मा 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं इशा में होग गढ़ हुन्छ गाउँ हुन्छ 10 सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए 1	भीत उ मण है प्रण है । आग । आग प्रण प्रक क्र
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. ( प्रसूति विद्या ड रोग) या एम. एस. ( प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप	मा 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हताएं दशा में हिताएं दशा में हिताएं के हिल्ए सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए प	যদে 3 মদে 3 1 আন <b>হ কা</b>
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हताएं दशा में हानाइ कार सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए प	वर्षात्व अ मान्द्र वेक का द
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अर्थ्यार्थयों की दशा में संघ लो	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हताएं दशा में हिताएं दशा में हिताएं के हिल्ए सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए प	वरीन उ माप है विज्ञाल <b>एक वर्ष</b> द का
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अर्थ्यार्थयों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हताएं दशा में हिताएं दशा में हिताएं दशा में हिताएं हिता है हिता है हो है हो है हिता है हिता है हिता है हिता है हिता है हिता है हिता है हिता है हो है हो है हिता है हे हिता है है हिता है हे ही है हिता है हे हे ही हे ही हे हे ही है हे ही है ही हा है ही है है ही है ही है हिता है हे हे ही ही हे हे हे हो है हे हे हे ही हे ही ही ही है ही ही ही ही ही ही है ही हे ही ही ही ही ही हे ही हे ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही	ন্দলৈ ও মেল উ নি আন্দ নি আন্দ হ কা ব্ কা ব্ কা ব ব ব ব কা ব ব কা
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 व को अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अर्भ्यार्थयों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आ	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा ायोग के	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ प्रोन्नत व्यक्तियों की क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं दशा में व्यक्तियों के लिए ज व्यक्तियों के लिए ज	ন্দলৈ ও মেল ট নি আন্দ নি আন্দ হ কা ব্ কা ব ব ব ব ব ব ব ব ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व को अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. ( प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. ( प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आ	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा वि सेवा वि सेवा	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ त्रोन्नत व्यक्तियों को क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं द्रशा में व्यक्तियों के लिए ज व्यक्तियों के लिए ज (14)	ন্দেনে ও মেনা है নি আনন <b>নি আনন ফ ক ফ</b> ব কা নি নি নি নি নি নি নি নি নি নি নি নি নি
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. ( प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. ( प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अर्भ्यार्थयों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आ विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थ दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लो	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा वि सेवा क सेवा क सेवा क सेवा	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ त्रोन्नत व्यक्तियों को क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं द्रशा में व्यक्तियों के लिए ज व्यक्तियों के लिए ज सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए ज सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए ज सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए ज	ন্দেশন ও মেথন উ নি আগন <b>গি আগন</b> <b>গি আগনি</b> বি কা মিথনাৰ মিথনাৰ মিয়ন্দুৰ্গনি
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आ विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थ दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लो आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अ	मा 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा विम सेवा क सेवा अपंक्षित	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ त्रोन्नत व्यक्तियों को क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो का मा हताएं द्रशा में का जाव का क माना 10 सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए ज व्यक्तियों के लिए ज व्यक्तियों के लिए ज स्रीधे के लिए ज व्यक्तियों के लिए ज स्रीधे के लिए ज	गरीन उ जारा है ते बाल के के के के के के व का व का के प्रमुति के प्रमुति
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 व को अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आ विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थि दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लो आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ज	मा 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा विम सेवा क सेवा अपंक्षित	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ त्रोन्नत व्यक्तियों को क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हंताएं दशा में होना प्रज इस्तर सीधे भर्ती किए ज व्यक्तियों के लिए प व्यक्तियों के लिए प कि जिस कि ज र सीधे भर्ती किए ज व्यक्तियों के लिए प कि जिस कि जिस सिंग सिंग के जिस कि सिंग के जिस कि	गरीन उ जारा है ते बाल के के के के के के व का व का के प्रमुति के प्रमुति
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 व को अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. ( प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. ( प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य । (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अर्भ्यार्थयों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आ विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्भ्यार्थ दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लो आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अ जनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपल की संभावना नहीं है ।	का 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनुभव ग संस्था क सेवा विमे के विमे के विम सेवा अपंक्षित ब्य होने	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ त्रोन्नत व्यक्तियों को क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो का नि हंताएं दशा में का का का का मानक 10 र सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए प व्यक्तियों के लिए प का कि रंडा मान का कि रंडा का मान के का का का का मानक का का मानक का का का का का का मानक का मानक का मानक का मानक का मानक का मानक का मानक का क	गपीन 3 अप्रण हैं जावा के जि <b>क के प्रक कि के</b> प्रक प्रक प्रमुचि पि
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 व की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्ह किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजि होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (प्रसूति विद्या अ रोग) या एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षप में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लो आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आ विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थि दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लो आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को पर्याप्त संख्या में उपल	मा 102) ता और स्ट्रीकृत और स्त्री अनैर स्त्री अनैर भवा ग संस्था क सेवा विक सेवा अपंक्षित ब्थ होने कम चार	व्यक्तियों के लिए वि आयु और शैक्षिक अ त्रोन्नत व्यक्तियों को क तागू होंगी या नहीं 9 आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताए : हां	हित कोई हो हताएं द्रशा में हिताएं द्रशा में हिताएं होता प्रता के हा गा सीधे भर्ती किए जा व्यक्तियों के लिए प व्यक्तियों के लिए प व्यक्तियों के लिए प हिता है व्यक्तियों के लिए प व्यक्तियों के लिए प	गरीन उ प्राप्त है ते बान्त <b>केल के</b> के के के व का प्राप्ति गि भग

435 GI/2603-6

[भाग II—खण्ड 3(i)]

# ि भारत का राजपत्र : मार्च 1, 2003/फाल्गुन 10, 1924 🔿 ने 💷 🗛

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुन्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

495

11	a forming in every propher in 12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/ स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: — (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
	विहित शैक्षिक और अन्य अईताएं हैं। II. उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर
	भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता
	है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग

	से परामर्श किया जाएगा।	the most the extension of the second se
13	14	and the second
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के f 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य		ायोग से परामर्श करनाता
1 2 3 3 6 6 4 5 5 (1		
2. उपाचार्य       1*       साधारण       16350-450-       योग्यता         (प्रसूति       (2002)       केन्द्रीय सेवा       18600 -500-       द्वारा चयन         विद्या       *कार्यभार के       समूह 'क'       20100 रु. और         और स्त्री       आधार पर       राजपत्रित       प्रैक्टिस-बंदी         रोग)       परिवर्तन किया       अननु-       भत्ता         जा सकता है ।       सचिवीय	6 50 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप- खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

and the second	: MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924         [Part: II—Sec. 3(i)]           9         10
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्या और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञ होना चाहिए।	1 956 (1956 का आयु : नहीं सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रेन्निति लय या समतुल्य अर्हता शैक्षिक अर्हताएं : हां व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी, रोग)/एम. एस. (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) या समतुल्य।	(प्रसूति विद्या और स्त्री
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यायल/शिक्षण संस्था में स प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।	। विशेषज्ञता में किसी
टेप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की द आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	शा में संघ लोक सेवा
टेप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ त वेवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति शा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्र प्रायोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भ मनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त स् की सम्भावना नहीं है।	यों के अभ्यर्थियों की जम पर संघ लोक सेवा रने के लिए अपेक्षित गंख्या में उपलब्ध होने
ांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय) पत्रिकाओं में अनुक्रमां गनुसंधान प्रकाशन)।	केत कम से कम चार
entre este construction de la construction participante de la construction de la construction de la construction	र्याद विभागीय प्रोकांस म्यान्य ते को कार्यते के स्वार्थत के जिल्ह
11	40
ान्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) जिसने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ): 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वाशासी संगठनों/
जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नतिः ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) जिसने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वाशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :
जिसके अतंगत अल्पकालिक संविदा भी है) ासके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) जिसने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वाशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
जसके अतंगत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति: ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) जिसने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वाशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है।
जिसके अतंगत अल्पकालिक संविदा भी है) ।सके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नतिः ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग) जिसने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वाशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं

t f t a a a a

-	13					न्गुन 10, 1924		497
समूह क	' विभागीय प्रोन्न	ते समिति प्रोज	नति के संबंध में	विचार क	ने के लिए •	Tileft are fore	14	<i></i>
1. 0100	नालदल्य, संघ लाव	के सवा आयोग		— आ			तिनियुक्ति (जिस	के अतंर्गत अल्प-
2. गृह स	चिव, चंडीगढ़ प्रश	ासन		-17	וכני	सेवा आयोग से पर	। ह) पर ानयुाक्त गण्ण चन्न	करते समय संघ लोक
3. सचिव	।, आयुर्विज्ञान शिक्ष कर्ज	ग और अनुसंध	ान, चंडीगढ़ प्रशा	सन — सव				
+. प्रवान	पाय, सरकारा आ	युर्विज्ञान महावि	द्यालय और		の日本 国际 国际 した した した した した した した した した した	गणगण्डमे 'तस्र' तपुष	和其前常有限	संस्थिति वि प्रविद्यालि ह
अस्पत	ाल, चंडीगढ़		de autoritation for p	—सद				e anfair an an an
					Non sheet	eles en grande de	PER STREET	मा द्वारा तेलानू (स्वतंत्र)
						the Really		्रियोग् स्टब्स् स्टब्स् व
1	2	3	4	5	- 194°24)	6		
येष्ठ	2*	साधारण	14300-400-	लागू नहीं	50 वर्ष से		when here	
ाध्यापक	(2002)	केन्द्रीय सेवा	15900 -450-		(माकारी)	जावक नहा। मेलकों के किए नेन्न	and air stern	त्व मार ठो <b>नहीं</b> विष्ट्र
प्रसूति	*कार्यभार के	समूह 'क'	18150 रु. और		जारी किंग	सपका का लिए कन्द्र	थि सरकार द्वारा	अलग्रे के लग्र
द्या और	आधार पर	राजपत्रित	प्रैक्टिस-बंदी		5 तर्ष तक	गए अनुदेशों या आ शिथिल की जा सक	दशा क अनुसार	
ो रोग)	परिवर्तन किया	अननु-	भत्ता		टिप्राण • :	भाषल को जा सक आयु-सीमा अवधारि		
	जा सकता है।	सचिवीय			निर्णायक त	गानु–सामा अवधार गरीख भारत में अभ्य	त करने कालए	
					पाप्त करने	के लिए नियत की ग	थियां स आवदन	
		×			होगी। (न	क वह अंतिम तार	।इ आतम ताराख नेन ने	
					er ur ( 1	ाभा पह जातम तार	.ाख जा असम,	
					मेघालरा ३	Things when the		
				Petrolary,	And and a second	ररूणाचल प्रदेश, मि	ाजोरम, मणिपुर,	
	el nativita, Cira Pi		NIC alalma un e		नागालैंड,	त्रिपुरा, सिक्किम,	जम्मू-कश्मीर	
		Mr. Of the	nic alali ja or e der 4 to ster i s		नागार्लेंड, 1 राज्य के ल	त्रिपुरा, सिक्किम,  दाख खंड, हिमाचल	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल	- 10 .8.8.0
	ri oli , matriag 1980 (-) Scott 1960 (-) Scott	Mr. Of the	nic alali ja or e der 4 to ster i s		नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति	त्रिपुरा, सिक्किम, ाद्दाख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप-	G.S.R. 91 - easily makes the foll bootset (11) sector (20)
		Mr. Of the	nic alali ja or e der 4 to ster i s		नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम	त्रिपुरा, सिक्किम,  दाख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि  न और निकोबार ह	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्रीप या लक्षद्वीप	(appredO) ishas!
	and fra da sala Lipitana ang ta	shrif() 10ke shrifi (Vyola	no aplica 302 Researcheren Res & Gymnec	ie provie nantao the Obstern	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय	त्रिपुरा, सिक्किम,  द्दाख खंड, हिमाचल  जिले तथा चम्बा जि  न और निकोबार ह  ों के लिए विहित की	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्रीप या लक्षद्वीप ो गई है।)	StudiedO) rahad Integration Studies Integration
	and fra da sala Lipitana ang ta	shrif() 10ke shrifi (Vyola	no aplica 302 Researcheren Res & Gymnec	ie provie nantao the Obstern	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय	त्रिपुरा, सिक्किम,  द्दाख खंड, हिमाचल  जिले तथा चम्बा जि  न और निकोबार ह  ों के लिए विहित की	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्रीप या लक्षद्वीप ो गई है।)	StudiedO) rahad Integration Studies Integration
(B.A.35) (0000 (0000) (	nar (- 1 2 zola 1 sonn volu: 1 nar (- 1 1 1 ) 1 nar (- 1 1 1 )	saan (Vynis sinn (Vynis sinn (vynis sing (vynis (vynis sing (vynis sing (vynis sing (vynis sing (vynis sing (vynis (vynis (vynis)) (vynis (vynis)) (vynis)) (vynis) (vynis)) (vynis) (vynis)) (vynis) (vynis)) (vyni) (vynis)) (vynis)) (vynis)) (vynis)) (vynis)) (vyni	no apticle 303 spans of Profi es & Gymee detees & Gy detees & Gy	izivola și di otnică (Ossaeri) (Ossaeri) (Otse	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय	त्रिपुरा, सिक्किम, ाद्दाख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि नि और निकोबार ह गें के लिए विहित की	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्रीप या लक्षद्वीप ो गई है।)	(appredO) ishas!
(B.A.35) (0000 (0000) (	nar (- 1 2 zola 1 sonn volu: 1 nar (- 1 1 1 ) 1 nar (- 1 1 1 )	saan (Vynis sinn (Vynis sinn (vynis sing (vynis (vynis sing (vynis sing (vynis sing (vynis sing (vynis sing (vynis (vynis (vynis)) (vynis (vynis)) (vynis)) (vynis) (vynis)) (vynis) (vynis)) (vynis) (vynis)) (vyni) (vynis)) (vynis)) (vynis)) (vynis)) (vynis)) (vyni	no apticle 303 spans of Profi es & Gymee detees & Gy detees & Gy	izivola și di otnică (Ossaeri) (Ossaeri) (Otse	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय	त्रिपुरा, सिक्किम, द्मख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह गें के लिए विहित क 9	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्रीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10	leader (Obstottis ollege and Hoopfel <u>transfigare, Profes</u> Ol <u>eater</u>
वश्यक :	(i) भारतीय आयुर्ग	र्थय ( ) २०२८ जेववा ( ) २०२८ ( २२०१७ २२२ 8 वेंज्ञान परिषद् अ	सीट वोवानुक कर विकर्म कि स्टब्स् उजनार के कि र स्टब्स् र कि इ. स्टब्स् के र कि इ. स्टब्स् के र कि इ. स्टब्स् के स्ट	22 YO से 54 (19 States of (19 States of (19 States of (19 States of (19	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल	त्रिपुरा, सिक्किम, द्राख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि न और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 गाग नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 परक वर्ष	leader (Obstateit ollege and Hoopital <u>Monor 3</u> Dandigari, Profes Obstation (c) 2009
वश्यक : अनुसूचिर	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को	के दाये ( ) स्वरूप संस्था ( ) स्वरूप ( ) स्वर्ण ( ) स्वरूप हे मूल विश्ववि	भारतात्र विकास के कि विधिनियम, 1956 ह्यालय या समतत	क्षां का एक का ता का का का ता का का का का का का का का का का ( 1956 का त्य अर्हता अं	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल् गैर	त्रिपुरा, सिक्किम, ाद्दाख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि नि और निकोबार ह गें के लिए विहित क 9 गगू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	leader (Obstottic ollege and Hoopfel <u>E Short of</u> handigare, Profes Ol <u>ottic (a) They</u> 2. These re
वश् <b>यक :</b> अनुसूचिर ती राज्य अ	(i) भारतीय आयुर्ग	8 र्वज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय <sub>्</sub> अ	मधिनियम, 1956 ाद्यालय या समतुर गयुर्विज्ञान रजिस्ट	वार्थ के संस्कृत कर्मार्ट) (1956 का त्य अर्हता अं र में रजिस्ट्र	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल गैर रीकृत	त्रिपुरा, सिक्किम,  द्दाख खंड, हिमाचल  जिले तथा चम्बा जि  न और निकोबार ह ]ों के लिए विहित क 9  गगू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	leader (Obstottic ollege and Hoopfel <u>E Shoer off</u> handigare, Profes Of <u>ester</u> (2) These re
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ ा चाहिए।	(i) भारतीय आयु ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुर गयुर्विज्ञान रजिस्ट	कार्यत्व अ ता कार्यत्व क्रिस्ट्रे ( 1956 का त्य अर्हता अ र में रजिस्ट्र्	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल गैर रीकृत	त्रिपुरा, सिक्किम,  द्दाख खंड, हिमाचल  जिले तथा चम्बा जि  न और निकोबार ह ]ों के लिए विहित क 9  गगू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	leader (Obstituti ollege and Hoopital <u>E Short in</u> handigarit, Profes Ob <u>stations</u> (a) These in 3. Nuesber
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ । चाहिए । ) किसी म	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि	8 वेंज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुर गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम डी (एम	( 1956 का त्य अर्हता अं र में रजिस्ट्र ति विद्या औ	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय (102) ल रीर रीकृत	त्रिपुरा, सिक्किम, द्राख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	learler (Obstitution offege and Hoopital <u>Connection</u> Dearler (c) and (c) and 2. These re 3. Theoder
वश्यक : अनुसूचिर ती राज्य अ । चाहिए । ) किसी म )/एम. एस.	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि र. (प्रसूति विद्या अ	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ ह्यालय/संस्था र रि स्त्री रोग) य	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुल गयुर्विज्ञान रजिस्ट से एम. डी. (प्रसू) ग समतुल्य ।	( 1956 का त्य अर्हता अ र में रजिस्ट्र ति विद्या औ	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल ौर रीकृत र स्त्री	त्रिपुरा, सिक्किम, द्राख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	learler (Obstitution offege and Hoopital <u>Connection</u> Dearler (c) and (c) and 2. These re 3. Theoder
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ । चाहिए । ) किसी म )/एम. एस i) स्नात	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि ा. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त	8 वेंज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ मद्यालय/संस्था र गैर स्त्री रोग) य करने के पश्न	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुर गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू ग समतुल्य। वात संबंधित विष	( 1956 का त्य अर्हता अं ति विद्या औ	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल रीकृत र स्त्री केस्मी	त्रिपुरा, सिक्किम, द्मख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	learler (Obstattich ollege and Hoopital <u>E Shore and</u> Shandigarh, Profess Obstat (a) These re Scale of providually alter matter traditio
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म )/एम. एस ii) स्नात	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि ा. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त	8 वेंज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ मद्यालय/संस्था र गैर स्त्री रोग) य करने के पश्न	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुर गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू ग समतुल्य। वात संबंधित विष	( 1956 का त्य अर्हता अं ति विद्या औ	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल रीकृत र स्त्री केस्मी	त्रिपुरा, सिक्किम, द्मख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	learler (Obstattich ollege and Hoopital <u>E Shore and</u> Shandigarh, Profess Obstat (a) These re Scale of providually alter matter traditio
वश्यक : अनुसूचिर ती राज्य अ । चाहिए । ) किसी म )/एम. एस ां) स्नातन काप्राप्त स	(i) भारतीय आयु ii में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि ा. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ ाद्यालय/संस्था र ाद्यालय/संस्था र करने के पश्न महाविद्यालय/शि	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुर मयुर्विज्ञान रजिस्ट से एम. डी. (प्रसू मा समतुल्य । वात् संबंधित विद्य राक्षण संस्था में प्राध	( 1956 का त्य अर्हता अं ति विद्या औ रोषज्ञता में f ध्यापक/रजि	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल ौर रीकृत र स्त्री केसी स्टार/	त्रिपुरा, सिक्किम,  द्मख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि  न और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्रीप या लक्षद्वीप गई है।) 10 एक वर्ष	<ul> <li>Icader (Obstottick ollege and Hoopfel <u>E Shoer of</u> Nandigara, Profess (a) may (a) may scale of prevident other mate a robust other mate a robust</li> </ul>
वश्यक : अनुसूचिग सी राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म )/एम. एस स्वाप्राप्त स नेयर रेजिडे मण 1 :	(i) भारतीय आयु (i) भारतीय आयु ों में सम्मिलत को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि ग. (प्रसूति विद्या अ कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान देट/परिदर्शक/ट्यूटर -अर्हताएं, अन्यथ	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ ह्यालय/संस्था स राहाविद्यालय/सि करने के पश्- महाविद्यालय/सि र के रूप में 3 र स सुअर्हित अभ्य	मधिनियम, 1956 ।द्यालय या समतुर ।युर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू मे एम. डी. (प्रसू मे समतुल्य। वात् संबंधित विद राक्षण संस्था में प्राप् वर्ष का शिक्षण अ यर्थियों की दशा मे	( 1956 का त्य अर्हता अ ते विद्या औ रोषज्ञता में f व्यापक/रजिज् नभव ।	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय (102) ल 102) ल रीक्त्रत र स्त्री किसी स्ट्रार/	त्रिपुरा, सिक्किम, द्राख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप गई है।) 10 एक वर्ष	learler (Obstitution offege and Hoopital <u>Concentre</u> Standigaris, Protes Obstitution (c) and Standor (c) and other papite 5 (c) first first and (c) first first and (c) first first and (c) first first and (c) first and (c) firs
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म )/एम. एस गिएम. एस नेयर रेजिडे राण 1 : गेग के विवे	(1) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि त. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान रंट/परिदर्शक/ट्यूटव - अर्हताएं, अन्यथ वेकानुसार शिथिल	8 वेंज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ ह्यालय/संस्था र ह्यालय/संस्था र करने के पश् महाविद्यालय/शि के रूप में उ र सुअर्हित अभ्य की जा सकती ज	मधिनियम, 1956 ।द्यालय या समतुल गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू ग समतुल्य । वात् संबंधित विद् शक्षण संस्था में प्राप् वर्ष का शिक्षण अ वर्धियों की दशा मे है ।	( 1956 का त्य अर्हता अं रे में रजिस्ट्र ति विद्या औ शेषज्ञता में f व्यापक/रजिन् नुभव । i संघ लोक	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय (102) ल 102) ल ौर (102) ल ौर र स्त्री केसी स्ट्रार/ सेवा	त्रिपुरा, सिक्किम, द्राख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	<ul> <li>Icader (Obstitution)</li> <li>Ollege and Hoopital</li> <li><u>E Shore and</u></li> <li>Thandigaris, Protest</li> <li>Ollege and garis, Protest</li> <li>Ollege and provided to the state of prov</li></ul>
वश्यक : अनुसूचिर क्षे राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म )/एम. एस व्याप्राप्त स नेयर रेजिडे राण 1 : ोग के विवं राण 2 :	(i) भारतीय आयु ii भं सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि त. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान देट/परिदर्शक/ट्यूटर - अर्हताएं, अन्यथ कानुसार शिथिल - अनुभव संबंधी	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ हालय/संस्था स ारालय/संस्था स ा सालय/संस्था के रूप में उ ज महाविद्यालय/सि के रूप में उ ज स्की जा सकती के अर्हता (अर्हता	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुर वायुर्विज्ञान रजिस्ट वात् संबंधित विद राक्षण संस्था में प्राप् वर्ष का शिक्षण अ रार्थियों की दशा मे है। एं) संघ लोक	( 1956 का त्य अर्हता अ रेषेज्ञता में f व्यापक/रजिः नुभव । i संघ लोक सेवा आयोग	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल 102) ल रीर र स्त्री किसी स्ट्रार/ सेवा ग के	त्रिपुरा, सिक्किम, द्राख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप ो गई है।) 10 एक वर्ष	learler (Obstitution offege and Hoopital <u>Concentre</u> Standigaris, Protes Obstitution (c) and Standor (c) and other papies (c) and other papies (c) and for another (c) and bits and (c) and for another (c) and for another (c) and for another (c) and for another (c) and (c) for another (c) and (c) for another (c) and (c) for another (c) and (c)
वश्यक : अनुसूचिर ती राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म ) एम. एस वाप्राप्त स नेयर रेजिडे गण 1 :	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि त. (प्रसूति विद्या अ कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान केन्द्रपरिदर्शक/ट्यूटय - अर्हताएं, अन्यथ केनानुसार शिथिल - अनुभव संबंधी भनुसूचित जातिये	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ ह्यालय/संस्था र वा सारतीय अ ह्यालय/संस्था र करने के पश्न महाविद्यालय/शि के रूप में 3 व म सुआर्हित अभ्य को जा सकती न अर्हता ( अर्हता ब और अनुसूचि	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुल गयुर्विज्ञान रजिस्ट गयुर्विज्ञान रजिस्ट ग समतुल्य। वात् संबंधित विभ शक्षण संस्था में प्राप् वर्ष का शिक्षण अ पर्थियों की दशा मे है। एं) संघ लोक ग जनजातियों के	( 1956 का त्य अर्हता अ ते विद्या औ रोषज्ञता में f ध्यापक/रजिज् नुभव । i संघ लोक सेवा आयोग 5 अभ्यर्थियों	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल 102) ल 102) ल 102) ल र स्त्री देकसी स्ट्रार/ सेवा ग के i की	त्रिपुरा, सिक्किम, दाख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 नगगू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप गई है।) 10 एक वर्ष	Icader (Obstitution offege and Hoopital <u>Connect M</u> Trandigarit, Profess Obstitution (c) and cale of providue offer prates a total for the solution (c) action (c) action shall be eligible for Provided
वश्यक : अनुसूचिर क्षी राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म )/एम. एस वित्र रिज बे राण 1 :	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि ा. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान रकानुसार शिथिल - अर्नुभव संबंधी भनुसूचित जातिये थिल की जा सकती	8 वेंज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ हायालय/संस्था र सि स्त्री रोग) य करने के पश्- महाविद्यालय/शि के रूप में उ व सुअर्हित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हता हैं जब चयन वे	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुल गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू ग समतुल्य। वात् संबंधित विद गक्षण संस्था में प्राप् वर्ष का शिक्षण अ गर्थियों की दशा मे है। एं) संघ लोक क जनजातियों के क किसी प्रक्रम प	( 1956 का त्य अर्हता अं र में रजिस्ट्र ते विद्या औ रोषज्ञता में f व्यापक/रजिः नुभव । i संघ लोक सेवा आयोग् 5 अभ्यर्थियो ( संघ लोक	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल 102) ल 112 102) ल 112 102) ल 112 102) ल 112 102 सेवा सेवा सेवा सेवा	त्रिपुरा, सिक्किम, द्धिख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 गगू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप रे गई है।) 10 एक वर्ष	<ul> <li>Icader (Obstitution)</li> <li>Ollege and Hoopital</li> <li>Shore all</li> <li>Shore all</li> <li>Shore all</li> <li>Charter and gara, Protes</li> <li>Charter and all all all all all all all all all al</li></ul>
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ ा चाहिए । )/एम. एस वित्राप्राप्त स नेयर रेजिडे पण 1 : नेय रेजिडे पण 2 : कानुसार स में तब शि	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि ा. (प्रसूति विद्या अं कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान रकारी आयुर्विज्ञान रकानुसार शिथिल - अर्नुभव संबंधी भनुसूचित जातिये थिल की जा सकती	8 वेंज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ हायालय/संस्था र सि स्त्री रोग) य करने के पश्- महाविद्यालय/शि के रूप में उ व सुअर्हित अभ्य को जा सकती अर्हता (अर्हता हैं जब चयन वे	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुल गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू ग समतुल्य। वात् संबंधित विद गक्षण संस्था में प्राप् वर्ष का शिक्षण अ गर्थियों की दशा मे है। एं) संघ लोक क जनजातियों के क किसी प्रक्रम प	( 1956 का त्य अर्हता अं र में रजिस्ट्र ते विद्या औ रोषज्ञता में f व्यापक/रजिः नुभव । i संघ लोक सेवा आयोग् 5 अभ्यर्थियो ( संघ लोक	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय 102) ल 102) ल 102) ल 112 102) ल 112 102) ल 112 102) ल 112 102 सेवा सेवा सेवा सेवा	त्रिपुरा, सिक्किम, द्धिख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 गगू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप रे गई है।) 10 एक वर्ष	Icader (Obstitution offege and Hoopital <u>Connect M</u> Trandigarit, Profess Obstitution (c) and cale of providue offer prates a total for the solution (c) action (c) action shall be eligible for Provided
वश्यक : अनुसूचिर सी राज्य अ ा चाहिए । ) किसी म ) (एम. एस वियर रेजिडे राण 1 : तेग के विव राण 2 : कानुसार स में तब शि । ग की यह	(i) भारतीय आयुर्ग ों में सम्मिलित को गयुर्विज्ञान रजिस्टर गन्यताप्राप्त विश्ववि त. (प्रसूति विद्या अ कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान कोत्तर अर्हता प्राप्त रकारी आयुर्विज्ञान देट/परिदर्शक/ट्यूटर - अर्हताएं, अन्यथ केननुसार शिथिल - अनुभव संबंधी भनुसूचित जातिये थेल की जा सकती राय है कि उनके f वाले उन समुदाये	8 र्वेज्ञान परिषद् अ ई मूल विश्ववि या भारतीय अ ह्यालय/संस्था र ह्यालय/संस्था र वा सुर्आहेत अभ्य के रूप में उ उ ा सुर्आहेत अभ्य को जा सकती ह अर्हता (अर्हता व और अनुसूचि हैं जब चयन वे लेए आरक्षित रि के अभ्यर्थियों	मधिनियम, 1956 ह्यालय या समतुल गयुर्विज्ञान रजिस्ट गयुर्विज्ञान रजिस्ट मे एम. डी. (प्रसू) ग समतुल्य। वात् संबंधित विद् ग्त समतुल्य। वात् संबंधित विद् ग्त समतुल्य। है। एं) संघ लोक त जनजातियों के के किसी प्रक्रम पर कित्यों को भरने वे के पर्याप्त संख्या	( 1956 का त्य अर्हता अ त्य अर्हता अ रे में रजिस्ट्र ति विद्या औ रेषज्ञता में f ध्यापक/रजिन् नुभव । i संघ लोक सेवा आयोग र अभ्यर्थियो र संघ लोक क लिए अपे में उपलब्ध	नागालैंड, 1 राज्य के ल और स्पीति खंड, अंदम के अभ्यर्थिय (102) ल (102) (10	त्रिपुरा, सिक्किम, द्धिख खंड, हिमाचल जिले तथा चम्बा जि ान और निकोबार ह ों के लिए विहित क 9 तागू नहीं होता	जम्मू-कश्मीर प्रदेश के लाहौल ले के पांगी उप- द्वीप या लक्षद्वीप गई है।) 10 एक वर्ष	<ul> <li>Icader (Obstitution)</li> <li>Ollege and Hoopfel</li> <li>Eshoer all</li> <li>Schoer all</li> <li>Ollegern, Profest</li> <li>Ollegern, Profest</li> <li>Competition</li> </ul>

THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

[PART II-SEC. 3(i)]

	11		12		\$T	~
-	सीधी भर्ती केवल केवलों । संस्थानकर एक विभ विशेष	া মান্দ্রী হয় নগান্ড পর্য	लागू नहीं होता	ara sidir d	a in islimus	र के जुस्स
	· "你们的你的你?"你们的"你们的你?"	- Trans	al se an tha search	的现在分词	an an Aran	water .r
	13 <sup>100 - 101</sup> - 1010 - 1010 - 1010 - 1010	1.20		14	NK GITIGH (F)	2. <u>To ar</u>
	ष्ट के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	प्रोन्नति समिति : —अध्यक्ष	संघ लोक सेवा अ करना आवश्यक	The should be to the the	<del>क क्रुतिस्तान दिए।</del> स्व, सरकाठी उस स. चंडीमार	
2.	सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	— सदस्य	ana ana ang kataon na sana ang kat Nga kataon nga kataon ng		an a	
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और					
	अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य	2	£		2°
4.		मन कर जिम हाल		lariticula	2*	্যাক
	आयुावज्ञान महा।वद्यालय आर अस्पताल, चडागढ़			वी. 24011/10/	(2002) 	प्राच्यापक (प्रयोत

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

जा सकता है। योवनीय

### New Delhi, the 14th February, 2003

G.S.R. 91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Professor (Obstetrics & Gynaecology)**, Reader (Obstetrics & Gynaecology) and Senior Lecturer (Obstetrics & Gynaecology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely : —

1. Short title and Commencement .---(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Obsetetrics & Gynaecology), Reader (Obsetetrics & Gynaecology) and Senior Lecturer (Obsetetrics & Gynaecology). (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and the other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualification .--- No person,---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(11) स्नितन्त्रीतः अहंता घटन कर्यन क च्यनन स्वीका त्वयादात वी किता

विषया 2 : — अनुषव संवर्धा अलेक (अहंतारी) राघ लोक लेवा वायोग क

I

(

मन्यताप्राय सरकारी आ हुति का महात्रसालय हिलाग संस्था य प्राव्यतना तल

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, and the provide the providence of the providenc

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

498

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : मार्च 1, 2003/फाल्गुन 10, 1924

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

499

27 0			SCHED	ULE	C. C. C. Construction and	M S. (Obstatrios and M S. (Obstatrios and Irom a recognized Up
Name of post	post	Classification Scal	tion Sele sen	ection-cum- iority or n-selection	Age limit for direct tree recruits the direct tree doints to the direct to the direct tree doints to the direct to the direct tree doints to the direct tree doints to the direct tree doints to the direct to the direct tree doints to the direct to the direct tree doints to the direct to t	Whether benefit
1	2	3	4	5	6	7:1900
1. Professor (Obstetrics and Gynae- cology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 18,600-500 22,100/- PLUS Non-practicin Allowance.	applicable g	servants upto five ye in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial da for determining the ag limit shall be the closi date for receipt of app cations from candidat in India (and not the closing date prescribes for those in Assam, Meghalaya, Arunachal I Mizoram, Manipur, Naj land, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir St Lahaul and Spiti Disti and Pangi Sub-Divisio of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicoba	ear's Yes they nment to constrain parts invision of an and ear's invision of an and ear's invision of an and ear is invision of a star is not start and an and tend of a constraint of a start and a start and a start and a start of a start and a start and a start and a start of a start a start and constraint an a start of a start a start and start a start a start ate, not numer in ate, not numer in many and a start and ate, not numer in a start a start and the start a start of a start a start a start a start a start of a start a start a start a start a start a start a start of a start a sta
THE REAL PROPERTY OF A DESCRIPTION OF A	anderstand) Abbeel Belley		tal Promot (a)	in Dependent	Islands or Lakshadwe	ep)
					on subspace in the	depination/absorp
	ons	Whether age educational c fications prese for direct rect will apply in t case of prom	uali- prob cribed if an ruits the otees	od of ation,	Method of recruit direct recruitmen or by deputatio percentage of th by various metho	itment whether by at or by promotion n/absorption and the posts to be filled ods
8		9	10		Autominations 2.8	-Covernmenter/Ini Statutory Boslica
qualification in of the Schedul Medical Counc of 1956) and m	rsity or equiva neluded in any es to the India iil Act, 1956 (10 nust be register Register or Indi	one Qualification n D2 ed in a	direc ons : Yes	year for t recruits	Promotion/deput (Including short t contract) failing direct recruitment	ation bloth (D(n) erm d adlugat no which by (D(W (I)) t. 5 dt m staop d Rs 16400

-[[] ।चिव

(i)]

And the second second

bgy), dical

ident

spital, turer

वर्ष्डमङ

nd the

and the

lax any

THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

[PART II—SEC. 3(i)]

P.Savings.

The second state of the se	and and the second first shall all all all all all all all all all	h di massinon	ON RECENTION OF DETSONS OF REC
8 ii) M.D. (Obstetrics and Gynaecology)/	enders issued by the Celebral Co	P.D. OT & BORRD PD.	a summer and a second second second
ii) M.D. (Obstetrics and Gynaecology)	THE REPORT OF THE		and the second sec
A C (Obsterrics and O yndeeder b)			A second s
from a recognized University/		Clarkshire and	. pog 1809
it the or equivalent.			
Ton year's experience in the			
Francian after acquiring post Bra	Part of the second s		
i internation off of which			
a should be as Reducit			
			and the second
Associate Professor in a recognition. Medical College/ Teaching Institution.		and the second s	
Medical Conege, reache g		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. Professor - 614
Note 1 :		(icheral canad	
i Castions are relaxable at the	2.10A	Service Charles Strange	
the state of the linion Public Scivice		Cuaracteric -	
contraction in case of candidates		Mon-Marine Marine M	
otherwise well qualified.			cology) processing cologents
otherwise well quanties.			[260] /10/4 BO
Note 2 :			
1: Gastion(s) regarding ex-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
cretion of the Union Public Service			
cretion of the Official deficiency of candi-			
Commission in the case of candi-			
dates belonging to the Scheduled			and damage the President
		. Asimilar	sections & Gyappiole (g).
of celection, the Onion			in Concernence Mercul
and a strand commission is or the			
from these confinituities			and a second stands
candidates nom			The second s
i the requirement caucifories			
i the requirement caucifories	and a state of the second		) and Senitor Leiberter
possessing the requisite experience	an a' an	e in e straknika. Tata	
are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	an a	n in the second s	
are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	an a' gailte an gailte ann an Maiste a' cailte ann an Stateanna Maiste ann an Stateanna a' State	201 (2020) 	
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: —		April 1	. Senira Leibarra
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications		April 1	
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National		April 1	. Senira Leitarra
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National		April 1	en en desta colors
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications	n 1 1995 - Leine Constantino 1997 - Leine Martino 1997 - Leine Martino	- Gardelar - Gardelar - Gardelar	Circumstances in which
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals.	16 a Departmental Promotion	i i porti a	Circumstances in which
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals.	16 a Departmental Promotion	i i porti a	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	A State	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consul- in making recruitment
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Marter Marter Marter Marter service Coluccional que	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consul- in making recruitment
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13	rentrad W	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom	notion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation	notion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation	notion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration	notion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/Union Territories/	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary,	notion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/Union Territories/	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary,	notion Committee a):Chairman search, Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Rec Chandigarh Administration	notion Committee a):Chairman search, Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service. Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Rec Chandigarh Administration	notion Committee a): Chairman search, hMember	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research-Institutions (a) (i) Holding analogous posts	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Re Chandigarh Administration 3. Principal, Coursement Medical Coll	notion Committee 1): A doct and a doct and a doct	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Re Chandigarh Administratio 3. Principal, Government Medical Coll	notion Committee h): Chairman search, h. —Member ege —Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With two year's regular service	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prom (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Ree Chandigarh Administratio 3. Principal, Government Medical Coll and Hospital, Chandigarh	notion Committee h):Chairman search, hMember ege Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Rec Chandigarh Administratio 3. Principal, Government Medical Coll and Hospital, Chandigarh	notion Committee h):Chairman search, hMember ege Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400—20000/- or equivalent; a	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Re Chandigarh Administratio 3. Principal, Government Medical Coll and Hospital, Chandigarh and	notion Committee h):Chairman search, hMember ege Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400—20000/- or equivalent; a (b) Possessing the educational and UE for the contral state of pay of National Statements of the contral state (b) Possessing the educational and UE for the contral state of pay of National Statements of the contral state of the contral statements of the c	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Re Chandigarh Administratio 3. Principal, Government Medical Coll and Hospital, Chandigarh and	notion Committee h):Chairman search, hMember ege Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: — Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publica- tion in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made 12 Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Prof (for considering confirmation 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Re Chandigarh Administratio 3. Principal, Government Medical Coll and Hospital, Chandigarh and	notion Committee h):Chairman search, hMember ege Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consult in making recruitment 14 Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

500

[भाग II-खण्ड 3(i)]

12

#### भारत का राजपत्र : मार्च 1, 2003/फाल्गून 10, 1924

II. The Departmental Officer in the
grade of Reader (Obstetrics and
Gynaecology) with two year's regular
service in the grade will also be
considered along with outsiders and
in case he/she is selected for
appointment to the post, the same
shall be deemed to have been filled
by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/ Contract including period of Deputation/ Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

(i) A basic University or Securi sheydenezaies forme indust Mr Council Acc 1956 (102 of 19 M.S. (Ohnonics and Gyrus of fram a recognized University institution or equivalent. the concerned speciality and acquiring postgradulate qualifi as Accistant Professor/Serror Lebuerd.course inurces to s Commission case of canonian otherwise well qualified. Mote 2 : The qualification(s) receiver as preserving as perfecte friere reference at the use cretion of the Union Public Se Commission in the case of a

dates beishiging to the Schelole

walth

1	2	3	4	5	Public Service Commission 6
2. Reader (Obstetrics and Gynae- cology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16;350=450= 18,600-500- 20,100/- PLUS Non-Practicing Allowance	Selection by merit	Not exceeding fifty year's. Yes (Relaxable for Government servants upto five year's in accord- ance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division

435 GI/2003-6

	12				A CALL AND A
(b) Posse	114 2	tional and other	1		
cualit	ications preser	ibed for direct			
. recrui	ts under colum	n(8)			Allenza and an and a second allenza
		Officer in the			additional to anterpreter the state of
feede	category who	are in the direct			- 300 The D. DEBUIER AND SHITTEN
line of	promotion sha	ll not be eligible			- HO THE PERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
for co	nsideration for	appointment on			Council Act, 1956 (102 of 1956) ab
deput	ation.Similarly	, deputationists			must be registered in arbitection Register or Indian Medical Bergister
shall r	ot be eligible fo	or consideration			
	pointment by p				<ul> <li>M.D. (Obstotrics and Uynakeon Ky M.S. (Obstotrics and G) matering;</li> </ul>
(Perio	od of Deputa	tion/Contract			from a recognized University in a from
Includ	ling period o	of Deputation/			equivalent de l'alevinos
held	mmediately	ex-cadre post preceding this			(ii) Three years teaching experience in G
appoir	itment in the	same or some			THEFT THE DESIGNATION DEFINITION
other	organization/	department of			The second state of the second second
the C	entral Gover	rnment, shall			Registral Senior Resident/Temoration
ordina	rily not exce	ed five years.			Tutor in a recognized Medical Colle- Teaching Institution.
The m	aximum age lir	nit for appoint-			
ment b	y deputation (in	ncluding short-			Marc 1: Constituations are relaxable of the case
fifty ei	ontract) shall be	e not exceeding he closing date			condition of the will quicklid
of the	receipt of appli	ne closing date			Note 2 - The qualification(s) regulated more in
				in de l'Annes de la composition Annes de la composition de la compositio Annes de la composition de la compositio	ist als history and a second of the list o
1 3. Senior	2	3 General Central	4 Rs 14 300-400	5	Charles Cartes Cartes Construction Charles Cartes Cartes Cartes 64, 100 March 100 Mar
-	2 02* (2002) *Subject to	General Central	Rs. 14,300-400	5 Not	Not exceeding fifty of the second states of the sec
3. Senior Lecturer (Obstetrics	02* (2002) *Subject to variation	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS	5	Charles Cartes Cartes Construction Charles Cartes Cartes Cartes 64, 100 March 100 Mar
Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A'	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising	5 Not	6 Not exceeding fifty No
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS	5 Not	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising	5 Not	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising	5 Not	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government) <sup>6</sup>
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising	5 Not	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising	5 Not	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising	5 Not	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli-
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6       7         Not exceeding fifty       No         years (Relaxable for       No         Government servants       No         upto five years in accor-       dance with the instructions         or orders issued by the       Central Government).         Note : The crucial date       for determining the age         limit shall be the closing       date for receipt of applications from candidates
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6 7 Not exceeding fifty No years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,
Senior Lecturer Obstetrics	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6       7         Not exceeding fifty       No         years (Relaxable for       Government servants         upto five years in accor-       dance with the instructions         or orders issued by the       Central Government).         Note : The crucial date       for determining the age         limit shall be the closing       date for receipt of applications from candidates         in India (and not the       closing date prescribed         for those in Assam,       Meghalaya, Arunachal Pradesh,
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	67Not exceeding fiftyNoyears (Relaxable forGovernment servantsupto five years in accor-dance with the instructionsor orders issued by theCentral Government).Note : The crucial datefor determining the agelimit shall be the closingdate for receipt of appli-cations from candidatesin India (and not theclosing date prescribedfor those in Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh,Mizoram, Manipur, Naga-
Senior Lecturer Obstetrics	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6       7         Not exceeding fifty       No         years (Relaxable for       Government servants         upto five years in accor-       dance with the instructions         or orders issued by the       Central Government).         Note : The crucial date       for determining the age         limit shall be the closing       date for receipt of applications from candidates         in India (and not the       closing date prescribed         for those in Assam,       Meghalaya, Arunachal Pradesh,         Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,       Nagalaya
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted,	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	67Not exceeding fiftyNoyears (Relaxable forGovernment servantsupto five years in accor-dance with the instructionsor orders issued by theCentral Government)*Note : The crucial datefor determining the agelimit shall be the closingdate for receipt of appli-cations from candidatesin India (and not theclosing date prescribedfor those in Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh,Mizoram, Manipur, Naga-land, Tripura, Sikkim,Ladakh Division of
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	67Not exceeding fiftyNoyears (Relaxable forGovernment servantsupto five years in accor-dance with the instructionsor orders issued by theCentral Government).Note : The crucial datefor determining the agelimit shall be the closingdate for receipt of appli-cations from candidatesin India (and not theclosing date prescribedfor those in Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh,Mizoram, Manipur, Naga-land, Tripura, Sikkim,Ladakh Division ofJammu and Kashmir State,
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	6       7         Not exceeding fifty       No         years (Relaxable for       Government servants         upto five years in accor-       dance with the instructions         or orders issued by the       Central Government).         Note : The crucial date       for determining the age         limit shall be the closing       date for receipt of applications from candidates         in India (and not the       closing date prescribed         closing date prescribed       for those in Assam,         Meghalaya, Arunachal Pradesh,       Mizoram, Manipur, Naga-         land, Tripura, Sikkim,       Ladakh Division of         Jammu and Kashmir State,       Lahaul and Spiti District
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	67Not exceeding fiftyNoyears (Relaxable forGovernment servantsupto five years in accor-dance with the instructionsor orders issued by theCentral Government).Note : The crucial datefor determining the agelimit shall be the closingdate for receipt of appli-cations from candidatesin India (and not theclosing date prescribedfor those in Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh,Mizoram, Manipur, Naga-land, Tripura, Sikkim,Ladakh Division ofJammu and Kashmir State,Lahaul and Spiti Districtand Pangi Sub-Division
. Senior Lecturer (Obstetrics and Gynae-	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	67Not exceeding fiftyNoyears (Relaxable forGovernment servantsupto five years in accor-dance with the instructionsor orders issued by theCentral Government).Note : The crucial datefor determining the agelimit shall be the closingdate for receipt of appli-cations from candidatesin India (and not theclosing date prescribedfor those in Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh,Mizoram, Manipur, Naga-land, Tripura, Sikkim,Ladakh Division ofJammu and Kashmir State,Lahaul and Spiti Districtand Pangi Sub-Divisionof Chamba District of
. Senior Lecturer	02* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400 15,900-450- 18,150/- PLUS Non-Practising Allowance.	5 Not applicable	67Not exceeding fiftyNoyears (Relaxable forGovernment servantsupto five years in accor-dance with the instructionsor orders issued by theCentral Government).Note : The crucial datefor determining the agelimit shall be the closingdate for receipt of appli-cations from candidatesin India (and not theclosing date prescribedfor those in Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh,Mizoram, Manipur, Naga-land, Tripura, Sikkim,Ladakh Division ofJammu and Kashmir State,Lahaul and Spiti Districtand Pangi Sub-Division

#### THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

8	9		10 June have		1
Essential :	Not appl	icable		Direct re	
<ul> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.</li> </ul>			Fectorité under column (3) autoire Fice (Dep, autoire conflicter in the freder category who are in the direct face of postaction (built not be ethnible for consideration for a postacem on departetion Simulant, deputation(s)		
<ul> <li>(ii) M.D. (Obstetrics and Gynaecology)/ M.S. (Obstetrics and Gynaecology) from a recognized University/Institution or equivalent.</li> </ul>			shalf norde eligible for consider the for appointment by conversion. (Period of Deputation Contract including particle of Deputation/		
<ul> <li>(iii) Three years teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/ Senior Resident/Demonstrator/ Tutor in a recognized Medical College/ Teaching Institution.</li> </ul>			e arbe post editor, fine ta or sent fa ta instruc- tine, state fine peare	In enablish of an aistely for an anal in the an coartention dep neral Coverner by not be set.	Contrac beld in appond other of the Cet
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.			The maximum age from the arrestor- inent by deputation (including speed term contract) shall be not exceedure (inty six years as on the closure date		
Note 2 : The qualification(s) regarding experience	-200			yours as no or Notigue to taison	
is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the	na kata pan				
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.					
If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		Вел 1 (1999) 15 ман 410 1813 бел Р. Г. 7 Ман-Птаналар Айнуудара	eneral Coutral Prince Graup A ocentral operficial operMinisterial	*Subject *o S variation C	

12	e ved at discussion 13	14
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
	2. Secretary, Medical Education & Research, Chandigarh Admi nistation —Member	Constanting Sources Constanting Processor Constanting Dated
	5. Filicipal, Overinnent Medical	<ul> <li>A set of set of approximately a approximately approximately a approximately approximately approximate</li></ul>
	4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member	

[]]

S. K. MISHRA, Under Secy.

## नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 398.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) में ''2002 '' अंकों के स्थान पर ''2003 '' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/10/2002-एम. ई. डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

PART II-SEC.

(i)]

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 92, तारीख 14 फरवरी, 2003 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# New Delhi, the 16th November, 2004

**G.S.R. 398.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/10/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote : The Principal notification No. G.S.R. 92, dated the 14th February 2003 as was published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 1st March 2003.

#### नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 399.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ण्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम में क्रम संख्या 2 पर उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), के पद के सामने,—

A		
(i)	े स्तंभ 5 के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थ	थापित की जाएगी, अर्थात् :—
	''चयन''	
(ii)	स्तंभ 13 के अधीन, मौजूदा प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि	अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
''सम	्ह क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के ति	तए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—
1.	गृह सचिव,	— અધ્યક્ષ
	चंडीगढ़ प्रशासन	
2.	सचिव, स्टिन्स् विद्यालय के विद्यालय के स्टिन्स् विद्यालय के स्टिन्स् विद्यालय के स्टिन्स् विद्यालय के स्टिन्स्	—सदस्य
	आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान,	
	चंडीगढ़	
3.	प्रधानाचार्य,	—सदस्य
	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल,	and the second
1.0	चंडीगढ़	
4.	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	
	के संबंधित विभाग के आचार्य और विभागाध्यक्ष	
		[ सं॰ वी॰-24011/10/2002-एम. ई. डेस्क-II

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

. पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 91, तारीख 14 फरवरी, 2003 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

#### New Delhi, the 16th November, 2004

**G.S.R. 399.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Obstetrics and Gynaecology), Reader (Obstetrics and Gynaecology), and Senior Lecturer (Obstetrics and Gynaecology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Obstetrics and Gynaecology), Reader (Obstetrics and Gynaecology), and Senior Lecturer (Obstetrics and Gynaecology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Obstetrics and Gynaecology), Reader (Obstetrics and Gynaecology), and Senior Lecturer (Obstetrics and Gynaecology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

3. In the said rules, against the post of Reader (Obstetrics and Gynaecology) appearing at Sl. No. 2,--

(i) under column 5, for the entry, the following entry shall be substituted namely :---

"Selection",

(ii) under column 13, after the existing entries, the following entry shall be inserted namely :----

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :----

1. Home Secretary,

Chandigarh Administration

-Chairman

2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration

3421 GI 04-2

THE GA	LETTE O	F INDIA · NC	VEMPED '	7 2004/40	RAHAYANA 6	
	and all the print of the se		A DIAIDER	21, 2004/AC	<b>IRAHAYANA</b> 6	1926

		GRAHAYANA 6, 1926	PART II-
3,	Principal, Government Medical College and Hospital,	Member	
	Chandigarh		

Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh

[No. V.-24011/10/2002-ME Desk-II]

-Member

-अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

-सदस्य

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 91, dated the 14th February, 2003 was published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 1st March, 2003.

### नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 400.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (विकृति विज्ञान), उपाचार्य (विकृति विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (विकृति विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (विकृति विज्ञान), उपाचार्य (विकृति विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (विकृति विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (विकृति विज्ञान), उपाचार्य (विकृति विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (विकृति विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपुनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- 3. उक्त नियम में उपाचार्य (विकृति विज्ञान), के पद के सामने वर्णित क्रम संख्यांक 2 में ,--
- (i) स्तंभ 5 के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :---"चयन"
- (ii) स्तंभ 12 के अधीन, ''अथवा'' शब्द का लोप किया जाएगा।
- (iii) स्तंभ 13 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि में पुष्टि के स्थान पर, '' प्रोन्नति'' पढ़ें और विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''समूह क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- 1. गृह सचिव, चंडींगढ़ प्रशासन
- सचिव,
- आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन
- प्रधानाचार्य, 3.

2222

- सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ
- 4. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के विकृति विज्ञान विभाग के आचार्य और विभागाध्यक्ष

[सं॰ वी॰-24011/10/2002-एम. ई. डेस्क-Ⅱ]

एस० के० मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 90, तारीख 14 फरवरी, 2003 भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।